6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board.**
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
21. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board.**
22. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
23. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and '**Hazardous**' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
24. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors.**
25. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-10** of the **Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** shall be submitted to the **Board**.

28.5.1

Chief Environment Officer

संलग्नक-72

e-Challan

IFMS Uttarakhand

Bank Reff. No. - IK0BTHSLL0

152

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	MAHABALI STONES PVT LTD
2	Address	Vill Papri PO Peerumadara Ramnagar
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Boundary Wall Fencing Challan
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Nainital
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
	Total Challan Amount-		200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

MAHABALI STONES PVT LTD

Challan No- 08530622E0057159

Amount in Figure(Rs.) - 200000

Date - 29-JUN-2022

Amount in words - Rs. Two Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - IK0BTHSLL0

State Bank Of India (Payment Gateway)

संलग्न-73
153

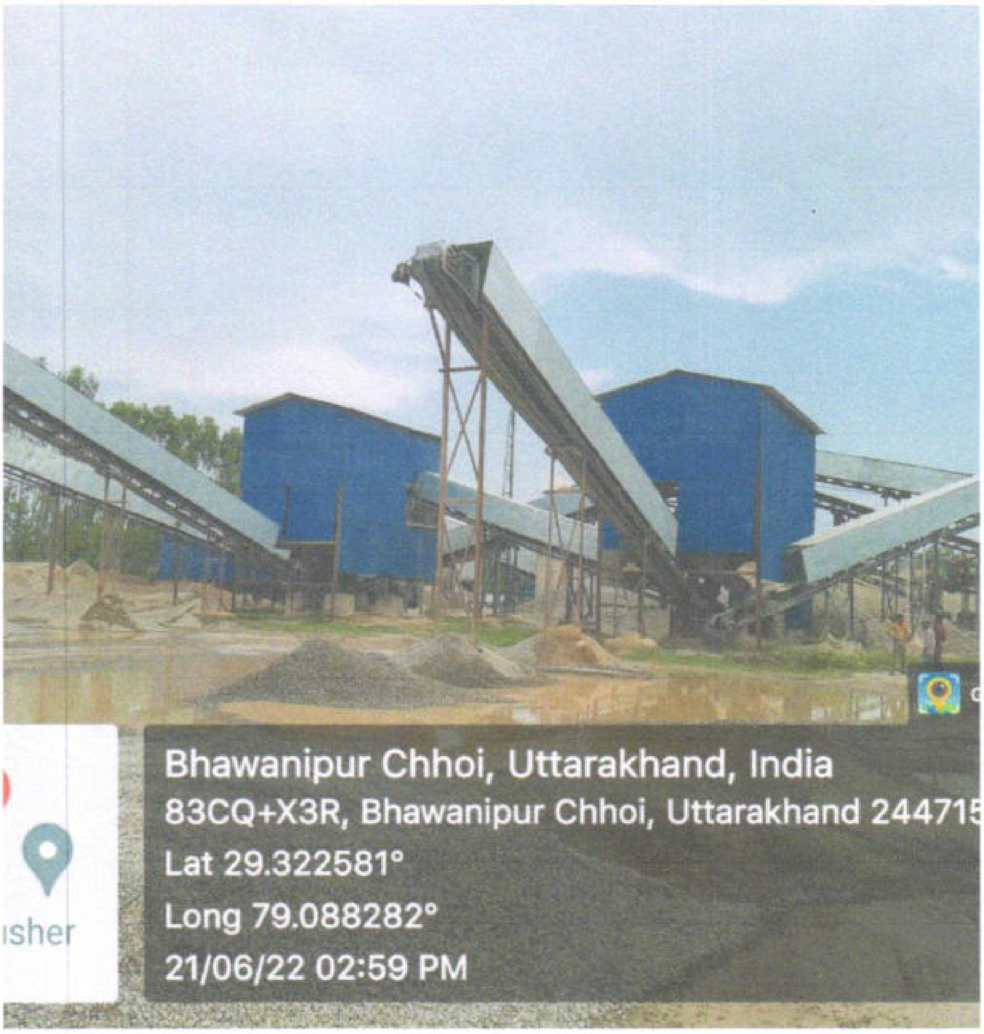

Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand, India
83CQ+X3R, Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand 24471
Lat 29.322581°
Long 79.088282°
21/06/22 02:59 PM
isher

संलग्न-74
155

संलग्न-75
156

दूरभाष : 1532
पोस्ट बाक्स : 25

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :- आदर्श नगर, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी | नैनीताल | पिन-263139

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office : Adarsh Nagar, Kaladhungi Road, HALDWANI [Nainital] pin- 263 139

पत्रांक/Ref............ दिनांक/Date 24/4/93

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जिला- नैनीताल ।

विषयः- मैसर्स न्यू रामनगर स्टोन कम्पनी, रामनगर के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.3.93 की बैठक की कार्यवृत्ति के पैरा 7 पर निर्दिष्ट उपरोक्त उद्योग के प्रकरण पर अपने निर्देशों का सन्दर्भ लेना चाहेंगे।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा किये जाने पर यह पाया गया है कि उद्योग में वर्ष 1984 से उत्पादन कार्य चल रहा है। रेलवे विभाग द्वारा स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु लीज पर दी गई भूमि पर यह उद्योग लगाया गया है। उद्योग वर्ष 1984 में उत्पादन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। उद्योग प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि उन्हें उस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता का ज्ञान नहीं था, और न ही उद्योग विभाग द्वारा ऐसी कोई शर्त स्थाई पंजीकरण में आरोपित की गई थी।

उद्योग का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उद्योग से जल प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योग द्वारा जल स्प्रे आदि की व्यवस्था कर ली गई है, परन्तु उद्योग के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास अभी नहीं किया गया है, अतः उद्योग को चारों ओर हरित पट्टिका का विकास अविलम्ब पूर्ण किये जाने एवं समय-समय पर एम्बीएन्ट एयर मानिटरिंग करा कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

उद्योग द्वारा दिनांक 16.3.93 को इस कार्यालय में सहमति जल एवं वायु हेतु आवेदन किया है। चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० पी-29014/1/90/पीसीआई-1/17814 एवं 17881 दिनांक 21.10.92 के माध्यम से जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम 1974 की धारा 18b एवं वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 18b के अधीन जारी निर्देशों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति के अनुसार चूंकि उद्योग लघु श्रेणी का है। तथा विज्ञप्ति में उल्लेखित 17 प्रकृति के उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस उद्योग का सहमति विषयक प्रकरण तदनुसार निक्षेप कर दिया गया है, एवं अलग से सहमति आदेश जारी नहीं किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योग से यह भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि उद्योग द्वारा जल/वायु/ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित कार्यवाही करें। अन्यथा बोर्ड द्वारा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त आख्या आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्रमशः- 2 पर जारी

157

– – 2 – –

भवदीय,

725/एम-18/93

ह0 वेद प्रकाश ह0
क्षेत्रीय अधिकारी.

प्रतिलिपिः – महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,

संलग्न-76

158

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्याः 1344/VII-A-1/2021/3(93)/21
देहरादून,दिनांकः 17 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1391/खनन/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रे०नवी०/नैनीताल/2021-22, दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मे उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1 (2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मै० न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के पक्ष मे जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम शिवलालपुर पाण्डे के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 207 कुल रकबा 0.839 है० भूमि मे 82 टन प्रति घटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लान्ट के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित, दिनाक 19.11.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तो के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है -

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिग प्लाट अनुज्ञा देने हेतु शर्ते" में उल्लिखित शर्तो (बिन्दु सं० 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 7(16) के अनुसार प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 9 की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
4. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 7(15) की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(1) के अनुसार मैदानी क्षेत्रो मे 100 टन प्रतिघटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर प्लाट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष अवशेष शुल्क ₹ 19.80.000/- (₹ उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल मे अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 6 (क) के अनुसार अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लाट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एव खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एव खनन उद्योग मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 6(ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश मे व निकासी गेटो पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एव सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वय के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एव खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

-2

8. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–। के बिन्दु सं० 6(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच / पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–। के बिन्दु सं० 6(घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एव खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु सबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–। के बिन्दु सं० 6(ड) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नही आयेगा।
11. गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रश्नगत स्टोन क्रेशर प्लाट की क्षमता 82 टन प्रति घंटा तथा प्लाट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल / आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 90×82×10=73,800 टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 45×82×10=36,900 टन होती है तथा वर्ष मे 2,95,200 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अनुसार प्लाट की वास्तविक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय–। के बिन्दु सं० 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. प्लाट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–। के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लाट मे उपयोग किये जाने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध मे उल्लिखित कुल अनुबन्धित उपखनिज की मात्रा को स्टोन क्रेशर भण्डारण की ई–रवन्ना पोर्टल आई०डी० के साथ जोडा जायेगा, जिससे पट्टाधारक / अनुज्ञाधारक उक्त अनुबन्धित उपखनिज किसी अन्य को आपूर्ति / विक्रय न कर सके तथा क्रेशर स्वामी किसी अन्य से कच्चा माल की आपूर्ति न ले सके। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपखनिजो के अन्य स्रोत उपलब्ध कराये जाने की दशा मे उक्तानुसार उनको भी ई–रवन्ना पोर्टल से जोडा जायेगा।
14. प्लाट स्वामी द्वारा अनुबधित पट्टा धारको से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्लाट स्वामी द्वारा अनुबधित खनन पट्टा धारको से इतर पट्टा धारको से उपखनिज की आपूर्ति नही की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्लाट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि मे ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
15. स्टोन क्रेशर प्लाट मे कच्चे माल की आपूर्ति हेतु स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–। के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लाट की प्रतिवर्ष क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष अवधि के लिए कच्चा माल की आपूर्ति का पंजीकृत अनुबन्ध की सूचना निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी होगी अन्यथा की दशा मे प्लाट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 3(1) के अनुसार प्लाट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रदद करने का निर्णय लिया जायेगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

संख्याः- 1344(1)/VII-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 02.08.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

सलग्न -17
161

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 1344/VII-A-1/2021/3(93)/21
देहरादून,दिनांक: 17 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1391/खनन/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रे०नवी०/नैनीताल/2021–22, दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 1(2) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मै० न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम शिवलालपुर पाण्डे के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 207 कुल रकबा 0.839 है० भूमि मे 82 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लान्ट के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित, दिनाक 19.11.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तो के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है –

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित शर्तो (बिन्दु सं० 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई–रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7(16) के अनुसार प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
3. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका स0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
4. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7(15) की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 1(1) के अनुसार मैदानी क्षेत्रों मे 100 टन प्रतिघंटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर प्लांट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष अवशेष शुल्क ₹ 19,80,000/– (₹ उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल मे अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6 (क) के अनुसार अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट मे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

8. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रश्नगत स्टोन क्रेशर प्लांट की क्षमता 82 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 90×82×10=73,800 टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय मे भण्डारण क्षमता 45×82×10=36,900 टन होती है तथा वर्ष मे 2,95,200 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लांट मे उपयोग किये जाने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध में उल्लिखित कुल अनुबन्धित उपखनिज की मात्रा को स्टोन क्रेशर भण्डारण की ई–रवन्ना पोर्टल आई०डी० के साथ जोडा जायेगा, जिससे पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक उक्त अनुबन्धित उपखनिज किसी अन्य को आपूर्ति/विक्रय न कर सके तथा क्रेशर स्वामी किसी अन्य से कच्चे माल की आपूर्ति न ले सके। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपखनिजों के अन्य स्रोत उपलब्ध कराये जाने की दशा मे उक्तानुसार उनको भी ई–रवन्ना पोर्टल से जोडा जायेगा।
14. प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारकों से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
15. स्टोन क्रेशर प्लांट मे कच्चे माल की आपूर्ति हेतु स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लांट की प्रतिवर्ष क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का पंजीकृत अनुबन्ध की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी होगी अन्यथा की दशा मे प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 3(1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

17. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

संख्या:- 1344(1)/VII-1/2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनाक 02.08.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानको को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्त निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै0 न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव

संलग्नक -78
164

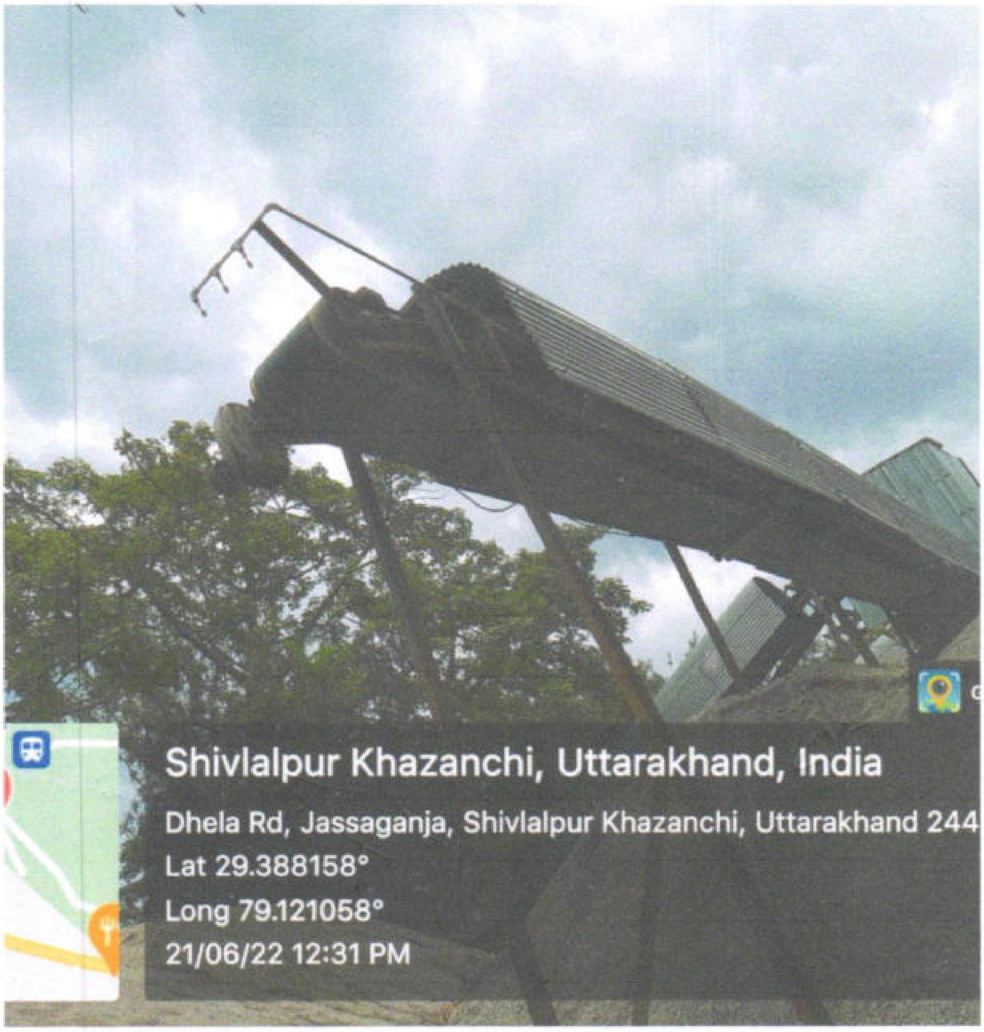
Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand, India
Dhela Rd, Jassaganja, Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand 244
Lat 29.388158°
Long 79.121058°
21/06/22 12:31 PM

संलग्न-79
166

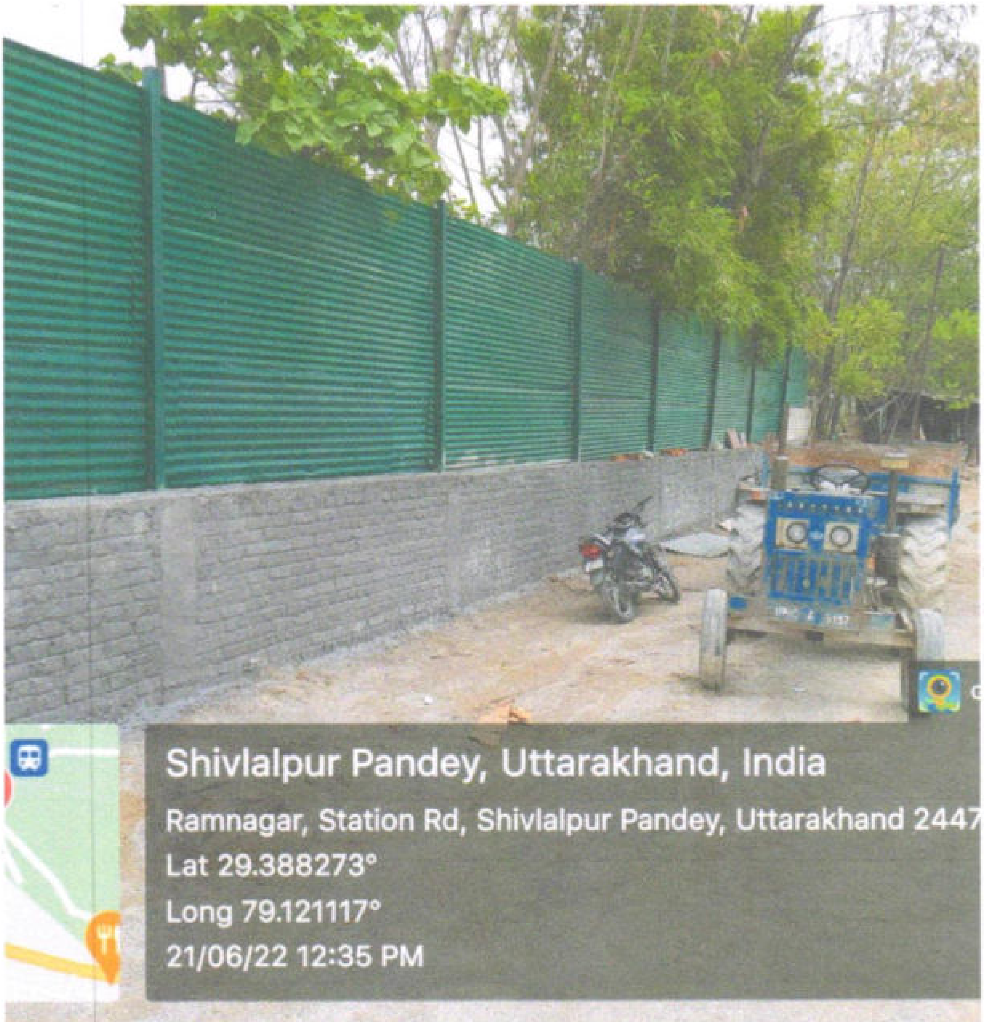
Shivlalpur Pandey, Uttarakhand, India
Ramnagar, Station Rd, Shivlalpur Pandey, Uttarakhand 2447
Lat 29.388273°
Long 79.121117°
21/06/22 12:35 PM

संलग्नक - 80
168

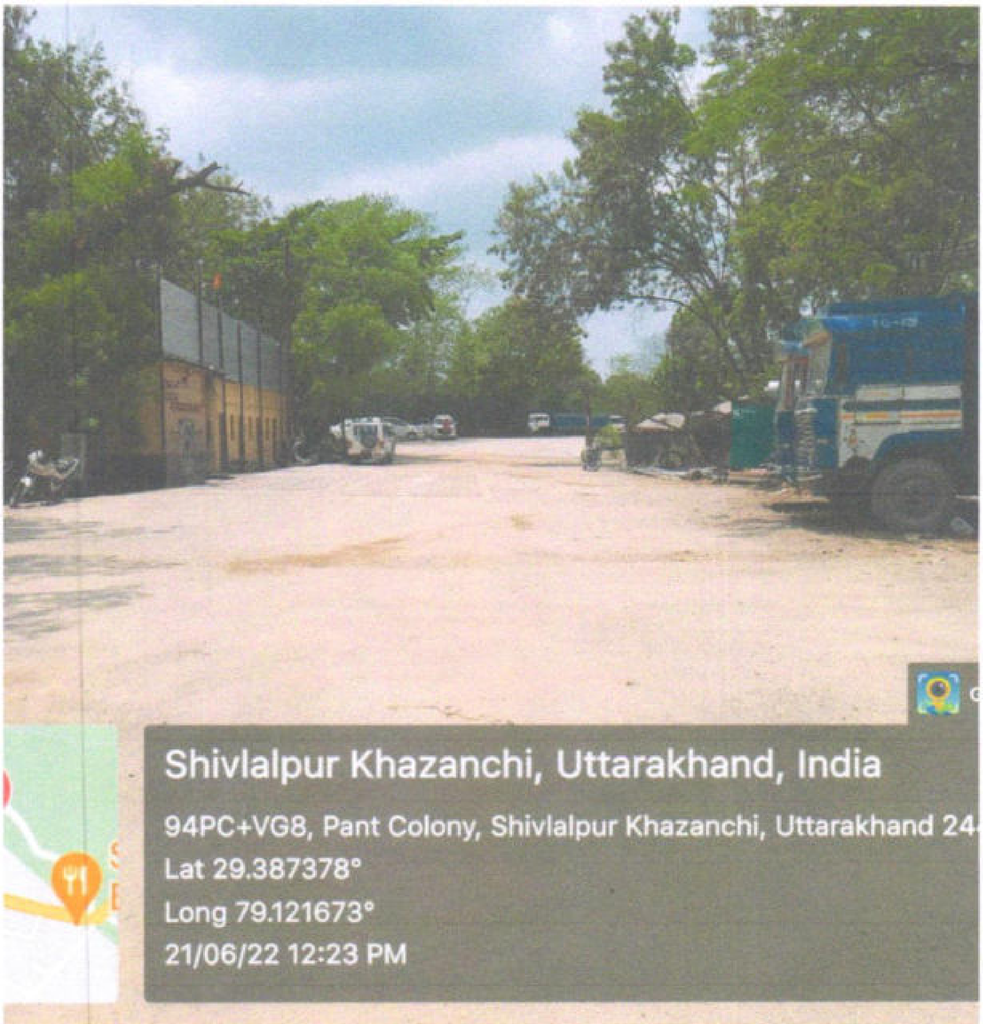

Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand, India
94PC+VG8, Pant Colony, Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand 24
Lat 29.387378°
Long 79.121673°
21/06/22 12:23 PM

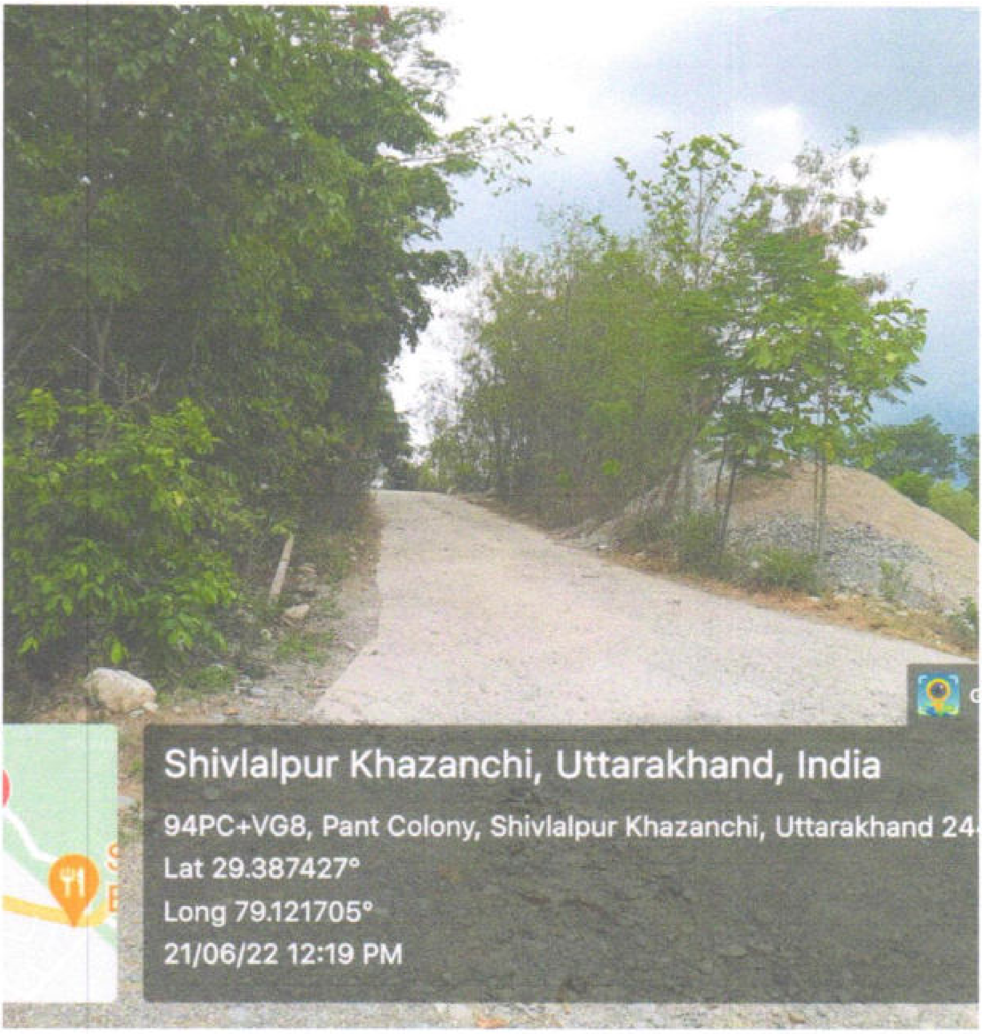

Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand, India
94PC+VG8, Pant Colony, Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand 24
Lat 29.387427°
Long 79.121705°
21/06/22 12:19 PM

संलग्नक-8।

170

सलग्न-82
171

उत्तराखण्ड जल संस्थान

दिनांक 31/3/22 - CL - 1055/1

RA 1 3786765

[illegible] श्री/श्रीमती मनीषा सचदेवा W/O मनोज सचदेवा शिवलालपुर [illegible]

बिल की अवधि से [illegible] तक 3/22

जल मूल्य	जल कर	सीवर कर	सीवर सीट	अन्य प्राप्ति	जमा राशि (रू०)
13500	—	—	—	—	13500=

बिल सं० CL - 1055/1 दिनांक [illegible] को रिबेट राशि द्वारा प्राप्त हुई

जमा राशि शब्दों में (तेरह हजार पाँच सौ रुपया)

बकाया राशि

अतिरिक्त जमा राशि

वरिष्ठ लेखाधिकारी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट : बैंक द्वारा भुगतान की दशा में जारी रसीद बैंक कैश होने पर ही वैध होगी।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Ramnagar Rural

13500

1,420 20-09-2013

2022/01/4654156

RN19RAR02R24D124654156

CL-1055/1

मनीषा सचदेवा / मनोज सचदेवा

शिवलालपुर रियुनिया / रामनगर

विभागीय वेबसाईट : http//ujs.uk.gov.in

शिकायत निवारण केन्द्र [illegible]

संयोजन की श्रेणी	विपत्र तिथि	से	तक	माह	अंतिम तिथि	
Low Head/ND/15	05-03-2022	01 / 2022	03 / 2022	3	29-03-2022	[illegible]

बिलिंग का प्रकार	अधिक मूल्यांकन दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/दर प्रतिमाह	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Avg						20.00

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्व मांग	छूट/अग्रिम	[illegible]	[illegible]
जल मूल्य	1,980.00		11,520.00	13,500.00			
सीवर सीट							
डिसआनर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण मांग	1,980.00		11,520.00	13,500.00	69.00	1,722.00	15,223.00

31 मार्च 2022 तक जलमूल्य देयक (बिल) के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।

नोट : [illegible]

(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिए)

संलग्न - 03
172

संलग्न-04
173

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. AAQM/HLD/24/2022-23

2 Name of City & Address M/s New Ramnagar Stone Crusher
Railway Yard,Ramnagar
Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring 21.06.2022

4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Ravindra Singh Jarout MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu g/m^3$)	Standard Value ($\mu g/m^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	540.5	600

Scientific Assistant Asstt. Scientific Officer Regional Officer

संलग्न- 05
174

Uttarakhand Pollution Control Board

Regional Office, Haldwani,

Awas Vikas Colony Nainital Road,

Haldwani (Nainital),Uttarakhand 263139

phone no:(05946)-221532,225618

Provisional Consent Order (CCA)

Application No-2182864 Dated: 03/06/2022

Ref No-10151/UEPPCB/Haldwani RO/Nainital/CTO/2182864 Valid upto: 31/03/2027

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime,Uttarakhand Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act,Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years.Consolidated Consent and Authorisation Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specifying following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)Act-1981

and Authorization under rule 3(c)& 5(5)of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rulesï¿½2008 framed under the E(P)Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No.(CtO:CCA-Renew) 2182864 and Dated 31/05/2022 for the consolidated consent and authorization(CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : **(under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)**

To

M/s New Ramnagar Stone Company

Railwy Yard, Ramnagar, Distt. - Nainital

Tehsil: Ramnagar

District: Nainital

Phone No: 7017890117

Consent Order No: 2182864 Renew Valid upto: 31/03/2027

All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.

b) All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act ï¿½1986 and the rules made there under shall be complied with

c) All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied

d) The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Boardï¿½s staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.

e) The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is

reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.

f) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.

g) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.

h) The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Pollution Control Board.

i) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.

j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.

K) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product,Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**
***** Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Pollution Control Board

RO Haldwani
Dr D K Joshi
Mobile no-9412998572

(3)

संलग्न-06
176

संलग्न - 87

IFMS Uttarakhand

e-Challan

Bank Reff. No. - CKU0571222 177

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER
2	Address	SHIVLALPUR CHUNGI, NEAR RAILWAY YARD RAMNAGAR, NAINITAL Uttarakhand 244715
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Boundary Wall Fencing Challan
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Nainital
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
	Total Challan Amount-		200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

NEW RAMNAGAR STONE CRUSHER

Challan No- 08530622E0055646

Date - 28-JUN-2022

Amount in Figure(Rs.) - 200000

Amount in words - Rs. Two Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - CKU0571222

State Bank Of India (Payment Gateway)

संलग्नक - ०७
178

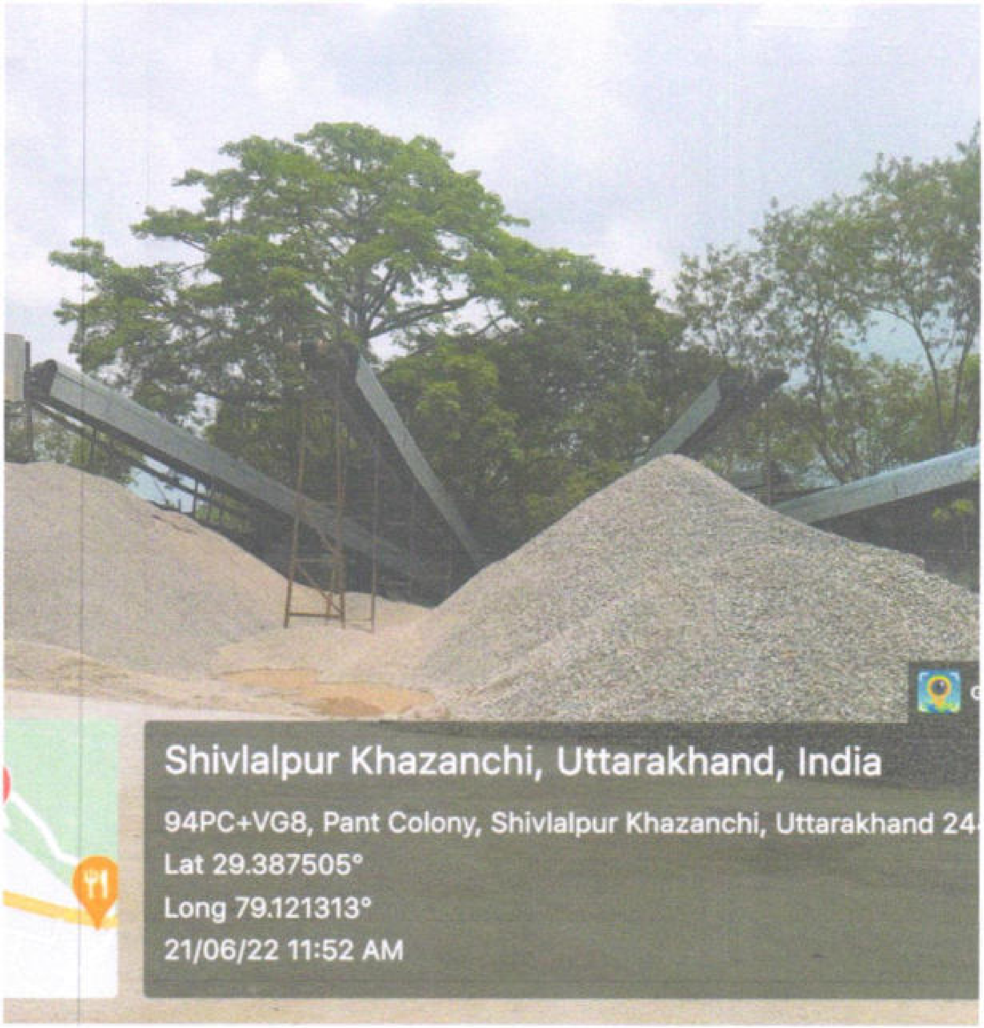
Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand, India
94PC+VG8, Pant Colony, Shivlalpur Khazanchi, Uttarakhand 24
Lat 29.387505°
Long 79.121313°
21/06/22 11:52 AM

Evaluating unlicensed DynamicPDF feature. Click here for details. [4:0:eval]

संलग्न - 01
179

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

क्षेत्रीय कार्यालयः आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

UEPPCB Ph No.- 05946-225618, 221532

Ref:UEPPCB/ROH/ A-177/19/293-57 दिनांक 04/05/19

Registered/AD

PCB ID-22471
CTE- fresh
CTE- 19829

सेवा में,

M/s A B Constructions
Khasara No- 255, 252/1, 253, 250 & 252/1
Village-Udaypuri Bbandobasti, Ramnagar, Nainital.

विषय–पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र **दि. 22.03.19 तथा Inward No–241017** का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।
   (क) स्थल : Khasara No- 255, 252/1, 253, 250 & 252/1, Village-Udaypuri Bbandobasti, Ramnagar, Nainital.
   (ख) उत्पादन : Stone Grits, Sand, Bajri & Boulders-24000.000 MT/Month.
   (ग) मुख्य कच्चा माल– River Bed Material & Stone Boulders-24000.000 MT/Month.
   (घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः शून्य
   (ड.) प्रयुक्त ईधन : शून्य।

   उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. उद्योग में हरित पट्टिका की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. उद्योग में उत्पादन तब तक प्रारम्भ न करे, जब तक की बोर्ड से जल एव वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय, यदि उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र घरेलू उत्प्रवाह हेतु मान्य है, जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में किया जायें।
6. यह अनापत्ति पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मात्र स्क्रीनिंग प्रकिया हेतु नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत ही मान्य है। उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण एवं प्रकिया परिवर्तन से पूर्व बोर्ड से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. यह सहमति शासन द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा के अधीनमात्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निर्गत की जाती है। इकाई द्वारा उत्त्राखण्ड शासन द्वारा जारी अनुज्ञा नीति के अन्तर्निहित प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण / मा0 न्यायालय / सक्षम स्तर द्वारा पारित एवं पारित होने वाले सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

A. Previous Consent-Reject / CCA Order / NOC Order (PCR) Uploaded in XGN on 22/10/2019 11:59:39 from IP No: 117.205.138.212.
B. 22471-A B Constructions accepts the LEGAL responsibility
and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

Evaluating unlicensed DynamicPDF feature. Click here for details. [4:0:eval]

9. उद्योग द्वारा भूमिगत जल के प्रयोग होने की दशा में CGWA /सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त किया जा अनिवार्य है।
10. उद्योग में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 यथासंशोधित में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चि किया जाये।
11. प्रस्तावित उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाय कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत इस कार्यालय में प्राप न हों। प्रदूषण सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों, उद्योग विभाग के अनुमन्य रजिस्ट्रेशन एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मान्य होगी।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पॉच वर्ष के लिए वैद्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दि. 31.05.19 तक प्रथम अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाय, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

DynamicPDF

A. Previous Consent-Reject / CCA Order / NOC Order (PCR) Uploaded in XGN on 22/10/2019 11:59:39 from IP No: 117.205.138.212.
B. 22471-A B Constructions accepts the LEGAL responsibility
and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

Evaluating unlicensed DynamicPDF feature. Click here for details. [4:0:eval]

संलग्न-90
181

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1421 / VII-1 / 2018 / 38 स्क्रीनिंग प्लान्ट / 18
देहरादून, दिनांक: 27 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पत्र संख्या–280 / स्क्री० / भू०खनि०ई० / नैनी० / 2018–19, दिनांक 07 जून, 2018 के क्रम में मै० ए०बी० कन्स्ट्रक्शन, भवानीगंज, काशीपुर रोड, रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 36 के खसरा स० 255 रकवा 0.414 है०, 256 रकवा 0.120 है०, खाता सं० 16 के 252 / 1 रकवा 0.104 है०, 253 रकवा 0.3790 है०, 250 रकवा 0.2660 है०, 251 रकवा 0.0700 है०, 252 / 2 रकवा 0.0660 है० कुल रकवा 1.419 है० नाप भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता का स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना / संचालन हेतु 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित किया जायेगा।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी। भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से कराया जाना होगा।
3. यदि कच्चे माल / तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
4. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो ।
5. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्रि समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
6. स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाना अनिवार्य होगा।
7. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
8. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
9. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने की समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
10. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों / अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
11. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
12. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल–दाब बना रहे।

31/7/18

–2

A. Any Specific Information Called for (000) Uploaded in XGN on 03/09/2018 17:46:51 from IP No: 117.205.130.14
B. 22471-A B Constructions accepts the LEGAL responsibility
and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

Evaluating unlicensed DynamicPDF feature. Click here for details. [4:0:eval]

13. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
14. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित में निहित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जाना होगा।
15. स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में कच्चेमाल / तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या:- 1421 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० ए०बी० कन्स्ट्रक्शन, भवानीगंज, काशीपुर रोड, रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव

A. Any Specific Information Called for (000) Uploaded in NGN on 03/09/2018 17:46:51 from IP No: 117.205.130.14.
B. 22471-A B Constructions accepts the LEGAL responsibility.
and undertakes that the furnished information is CORRECT & ACCURATE.

संलग्नक-91
183

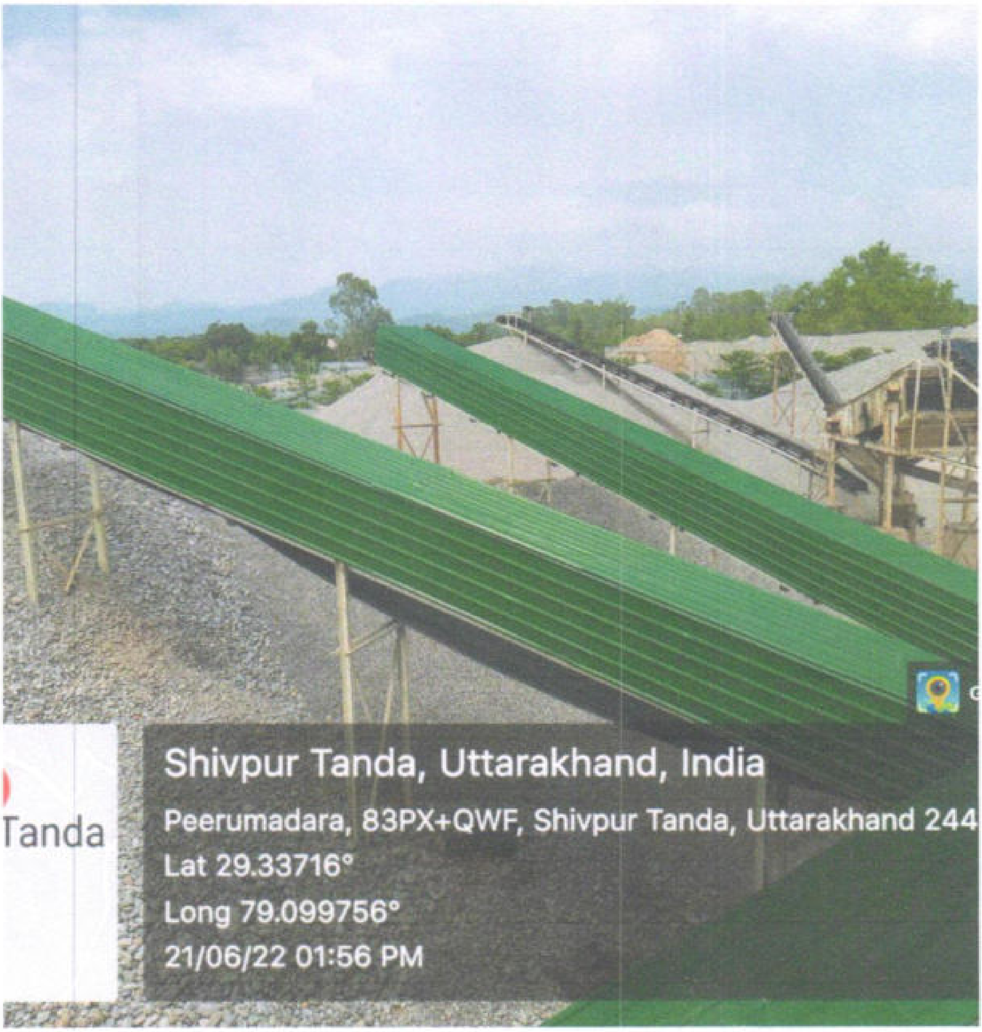
Shivpur Tanda, Uttarakhand, India
Peerumadara, 83PX+QWF, Shivpur Tanda, Uttarakhand 244
Lat 29.33716°
Long 79.099756°
21/06/22 01:56 PM
Tanda

संलग्न-92
184

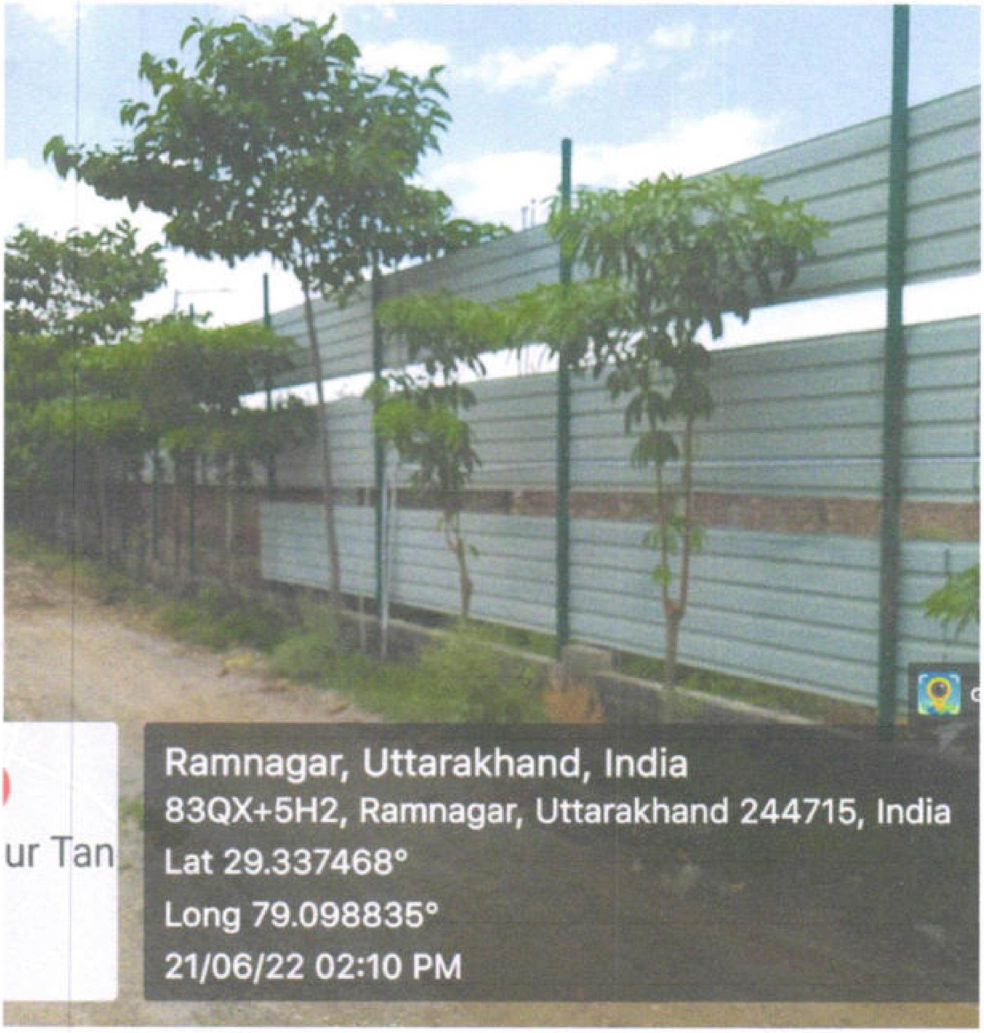
Ramnagar, Uttarakhand, India
83QX+5H2, Ramnagar, Uttarakhand 244715, India
Lat 29.337468°
Long 79.098835°
21/06/22 02:10 PM
ur Tan

संलग्नक-93
185

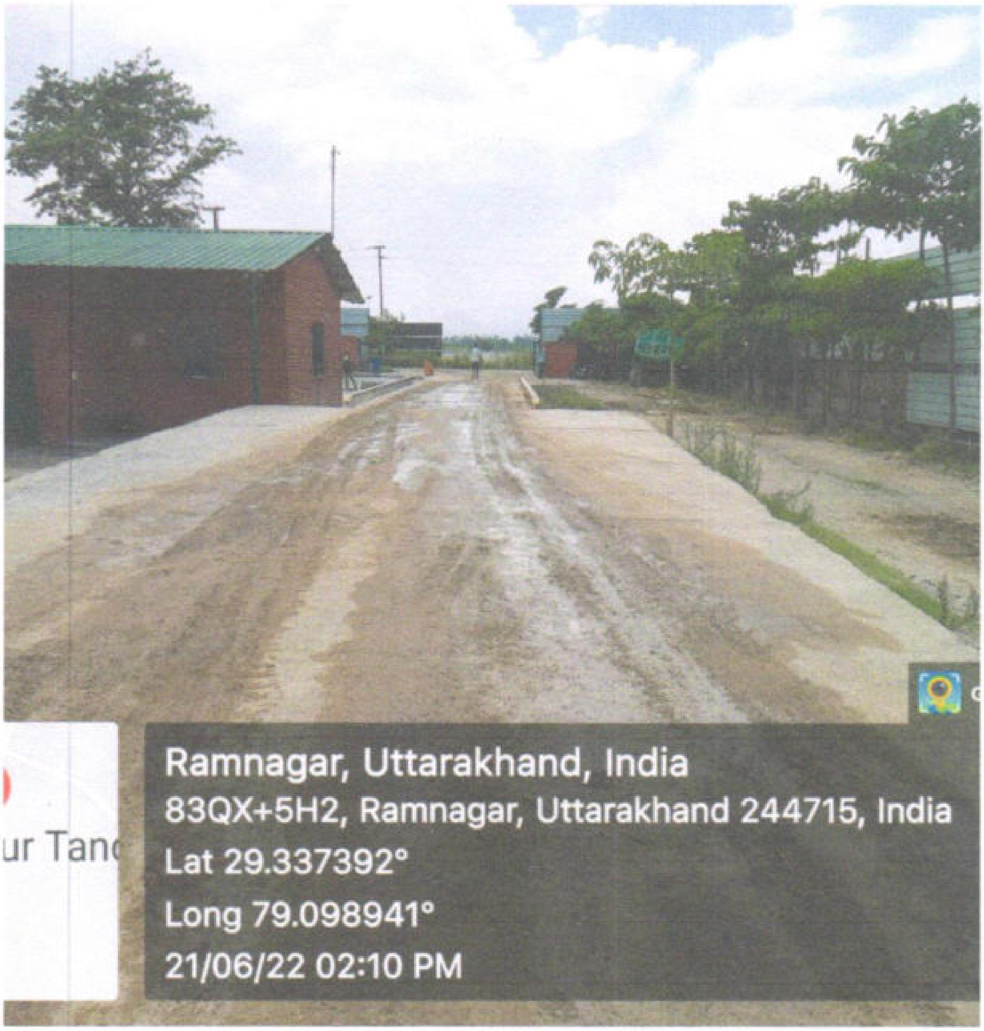

ur Tan
Ramnagar, Uttarakhand, India
83QX+5H2, Ramnagar, Uttarakhand 244715, India
Lat 29.337392°
Long 79.098941°
21/06/22 02:10 PM

S.S.D.N
S.S.D.N
A V NATURALS

संलग्न - 15
188

संलग्न - 95
190

Gangapur Pahari, Uttarakhand, India
Ramnagar, Basai, Chandrapur Tiwari, Gangapur Pahari, Uttarakhan
India
Lat 29.345085°
Long 79.070331°
21/06/22 02:04 PM

संलग्नक-96
191

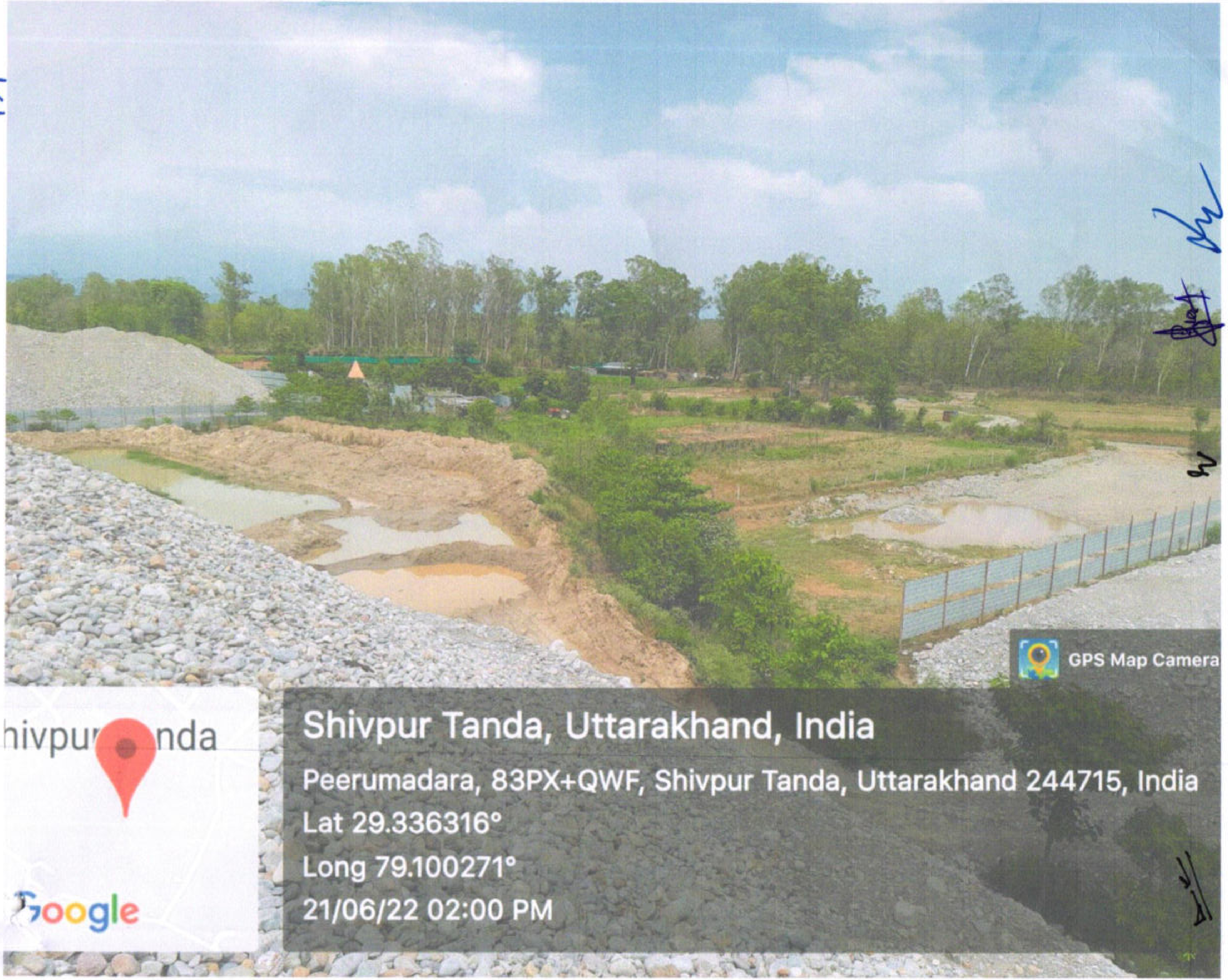

GPS Map Camera
hivpur nda
Google
Shivpur Tanda, Uttarakhand, India
Peerumadara, 83PX+QWF, Shivpur Tanda, Uttarakhand 244715, India
Lat 29.336316°
Long 79.100271°
21/06/22 02:00 PM

संलग्नक-97
192

संलग्न - 10
195

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. AAQM/HLD/26/2022-23

2 Name of City & Address M/s A.V Natural(Screening Plant)
Udaipuri Bandobasti,Ramnagar
Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring 21.06.2022

4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Ravindra Singh Jarout MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value (µg/m³)	Standard Value (µg/m³)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from Screening Plant	382.2	600

Scientific Assistant Asstt. Scientific Officer Regional Officer

संलग्न - 99
194

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board - Haldwani R.O.
Awas Vikas Colony
Nanital Road
Haldwani
Tele : 05946-221532,225618

Provisional Consent Order (CCA)

Consent No. AWH-21618 Valid upto: 31/03/2023

Application : CtO:CCA-Renewal, No. 265678 Dt. 08/06/2020, Granted On: 29/07/2020 | PCB Id:22471

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime,Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act,Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years.
Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specifying following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)Act-1981
and Authorization under rule 3(c)& 5(5)of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules'2008 framed under the E(P)Act-1986.
And whereas Board has received consolidated Application No.(CtO:CCA-Renewal) 265678 and Dated 08/06/2020 for the consolidated consent and authorization(CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : (under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)

To,
M/s. A B Constructions,
Khasara No. - 255, 252/1, 253, 250 & 252/1,, Village - Udaypuri Bandobasti, Tehsil - Ramnagar,
City : Udaypuri Bandobasti,
Dist : Nainital, Tal : Ramnagar, SIDC : Not In Any SIDC
Phone : 9012284444

1. Consent Order No: AWH-21618 Valid Upto: 31/03/2023

2. All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

Consented CETP: Not Linked to any CETP
Consented TSDF: Not Regd with any TSDF

3. GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.
b) All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act – 1986 and the rules made there under shall be complied with *.
c) All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied
d) The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Board's staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
e) The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.
f) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.
g) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.
h) The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board.
i) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.
j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.
K) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

*** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product, Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.

*** Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.

For and on behalf of
Uttarakhand Environment Protection &
Pollution Control Board

(Member Secretary)

IFMS Uttarakhand

सत्यापित -(100)

e-Challan

Bank Reff. No. - CPABUIYLR5

195

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	A V NATURALS
2	Address	NEAR TRUCK UNION, KASHIPUR ROAD, RAMNAGAR Uttarakhand 244715
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Boundary Wall Fencing Challan
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Nainital
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
	Total Challan Amount-		200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

A V NATURALS

Challan No- 08530622E0055845

Date - 28-JUN-2022

Amount in Figure(Rs.) - 200000

Amount in words - Rs. Two Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - CPABUIYLR5

State Bank Of India (Payment Gateway)

संलग्न - 101
196

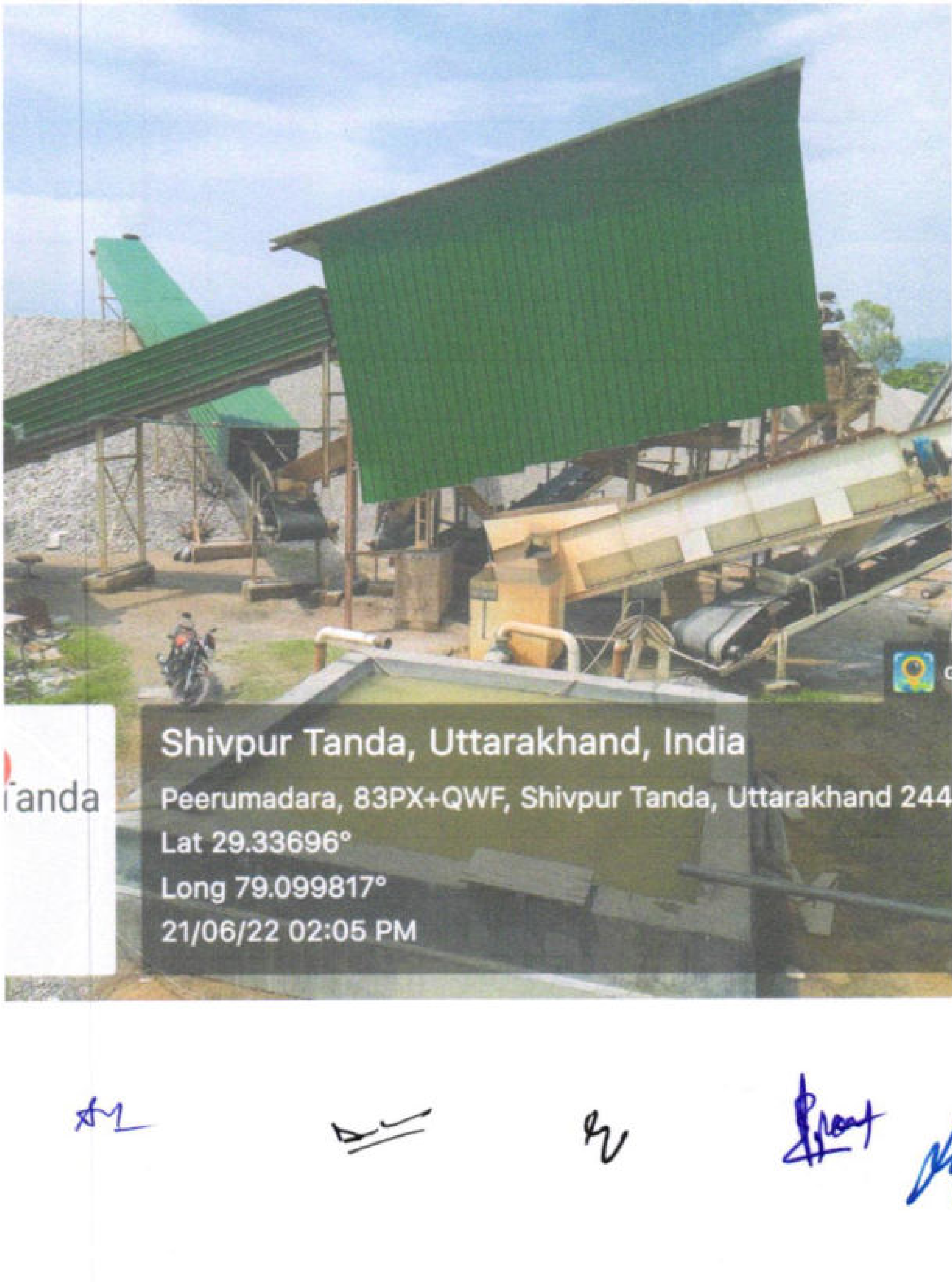

Tanda
Shivpur Tanda, Uttarakhand, India
Peerumadara, 83PX+QWF, Shivpur Tanda, Uttarakhand 244
Lat 29.33696°
Long 79.099817°
21/06/22 02:05 PM

संलग्नक-102
197

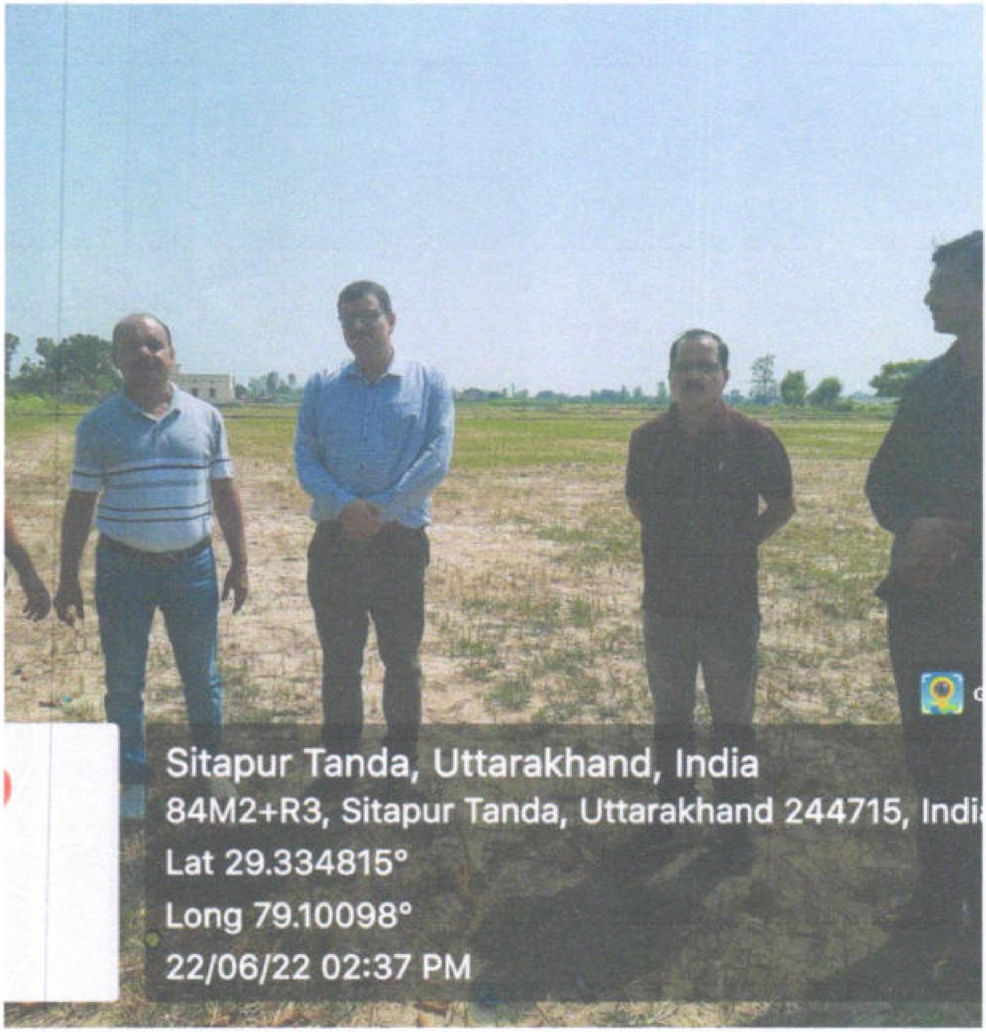

संलग्न-103
198

संख्या 828 दिनांक 13/1/22

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्याः /VII-A-1/21/3(117)/21
देहरादून,दिनांकः 7 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 3844/खनन/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रे०/नैनी०/2021-22, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० श्री गुरू तेग बहादुर स्टोन क्रेशर, ग्राम कन्दला, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर, ग्राम कन्दला के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं0 16 के खसरा सं0 89 व खाता सं0 27 के खसरा सं0 91 कुल रकबा 1.750 है0 मध्ये 1.415 है० भूमि में स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा, प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण सहित मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य" में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु सं० 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-55, दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11(1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. प्लांट स्वामी द्वारा अवशेष शुल्क ₹ 21,90,000/-(₹ इक्कीस लाख नब्बे हजार मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 बिन्दु सं० 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 39(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

-2

8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं 39(2) के अनुसार यदि स्टोन क्रे प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये ज के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 39(3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन के प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंग नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 त्रिलो चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चि किया जायेगा।
11. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशि क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भू को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोल जायेगा।
13. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 09 के अनुसार प्लांट म भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय जाएगा।

राजेन्द्र सिंह पतियाल
उप सचिव

संख्याः–2325(1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० श्री गुरू तेग बहादुर स्टोन क्रेशर, ग्राम कन्दला, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संलग्नक- 104
200

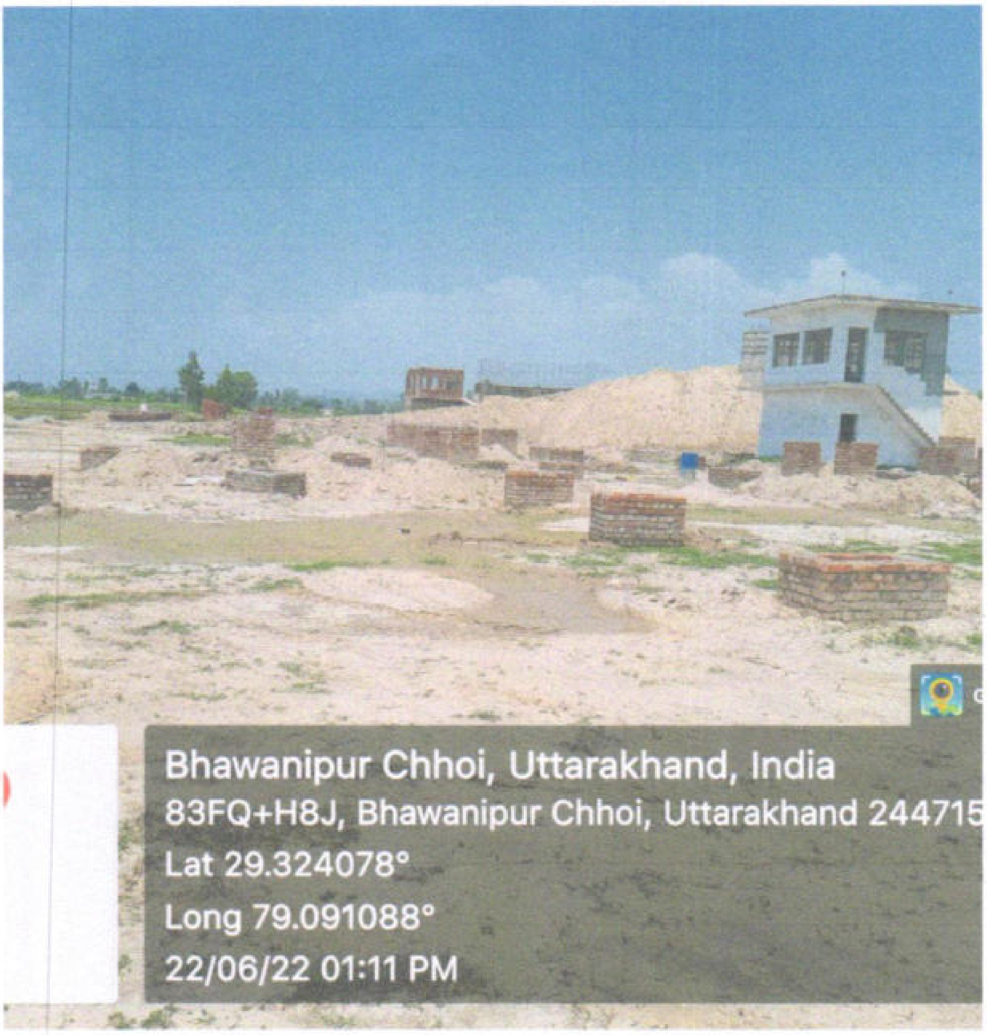

संलग्नक- 105
201

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या:2309 / VII-A-1 / 2021 / 03(113) / 2021
देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्र संख्या- 3642 / खनन / भू0खनि0ई0 / स्टो0क्रे0प्ला0 / नैनी0 / 2021–22, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै0 कटारिया स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के खसरा सं0 167, 165 / 7 / 2, 223, 168, 165 / 10 / 1 कुल रकबा 1.539 है0 भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लाण्ट, रेडी मिक्स प्लाण्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 13 (1) के प्राविधानानुसार 100 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना / संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212 / 2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय व निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है –

1. प्लाट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लाट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लाट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लाट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून, 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, जल संरक्षण अधिनियम 1974 एवं समय [illegible] तथा मा0 [illegible] केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों / दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लाट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार प्लाट की अधिकतम क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 12 के प्राविधानानुसार मैदानी क्षेत्रों में 100 टन प्रति घंटा क्षमता हेतु अनुज्ञा शुल्क रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) प्लाट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लाट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट [illegible] मानते हुए उत्पादित उपखनिज [illegible] की मात्रा पर [illegible] लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

202

2

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध मे निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
11. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-2309 (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै0 कटारिया स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संलग्न-106
203

Uttarakhand Pollution Control Board
Regional Office, Haldwani.
Awas Vikas Colony Nainital Road,
Haldwani (Nainital),Uttarakhand 263139
phone no:(05946)-221532,225618

Provisional Consent Order (CTE)

Application No-2601643 Dated: 04/06/2022

Ref No-11922/UEPPCB/Haldwani RO/Nainital/CTE/2601643 **Valid upto: 03/06/2027**

To

M/s KATARIA STONE CRUSHER
Khasara No. - 167, 165/7/2, 223, 168, 165/10/1, Village- Papri, Tehsil - Ramnagar, Nainital, Uttarakhand - 244715
District: Nainital
Phone no: 8433438002

SUB: Consent to Establish (NOC) under Section 25 of
REF: Your Application No. (CtE:CTE)-Fresh 2601643 and Dated 18/05/2022

Without prejudice to the powers of this Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at Khasara No. - 167, 165/7/2, 223, 168, 165/10/1, Village- Papri, Tehsil - Ramnagar, Nainital, Uttarakhand - 244715 Phone No. 8433438002for the manufacturing of the items/products as mentioned in the detailed order ***.

The Validity period of the order will be Five Years from the date of issue of CTE (NOC) order.

1 CTE Order No: 2601643 Valid upto: 03/06/2027

All Conditions under the shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

Approved CETP: Not Linked to any CETP

Approved TSDF: Bharat Oil & Waste Management Ltd.[11454]

3. GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.

b) All the conditions and provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under shall be complied with*.

c) All the conditions and provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied with*.

d) The concentration of Noise in ambient air within the premises of industrial unit shall not exceed following levels:

Between 6 A.M. and 10 P.M.: 75 dB (A)

Between 10 P.M. and 6 A.M.: 70 dB (A)

e) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners / partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form/ order should immediately be intimated to the Board.

f) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.

This is computer generated order. Signature is not required.

g) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.

h) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.

i) The applicant shall obtain membership of common infrastructure for disposal of effluent / Hazardous waste.

j) The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gaseous emission or sewage waste from the proposed industrial plant. The applicant is required to make applications to this Board for this purpose in the prescribed forms under the provisions of the Water Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986.

k) If it is established by any competent authority that the damage is caused due to their industrial activities to any person or his property, in that case they are obliged to pay the compensation as determined by the competent authority.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product,Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**
***** Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Pollution Control Board

RO Haldwani
Dr D K Joshi
Mobile no-9412998572

संलग्न-107
205

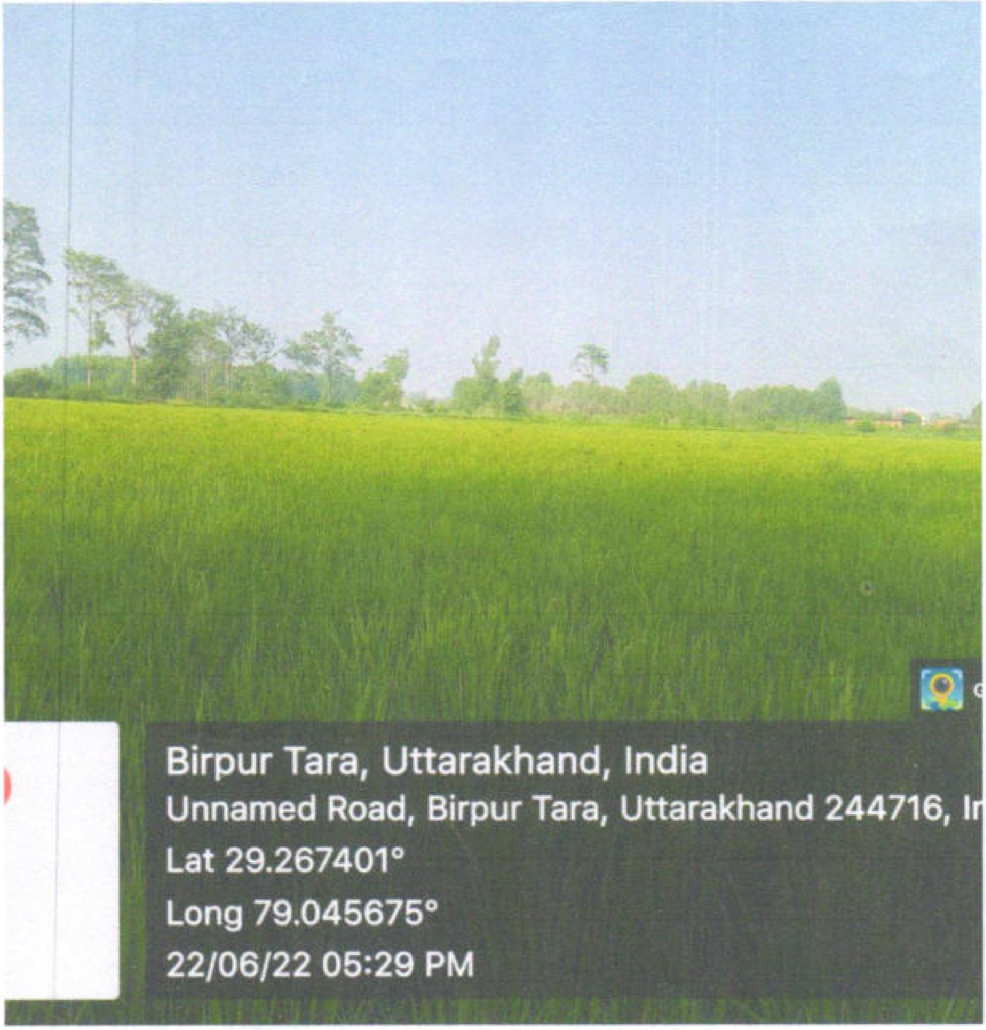
Birpur Tara, Uttarakhand, India
Unnamed Road, Birpur Tara, Uttarakhand 244716, I
Lat 29.267401°
Long 79.045675°
22/06/22 05:29 PM

संलग्न-108
206

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 40 /VII-A-1/2021/3(22)/22
देहरादून,दिनांक: 07 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 4274/खनन/भू०खनि०ई०/स्टो०क्रे०ई०/स्टो०क्र०प्ला०/नैनी०/2021–22, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० पीरूमदारा स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम पापड़ी के क्षेत्रान्तर्गत खाता सं० 00018 के खसरा सं० 183मि0, 185मि0, 200मि0, 201मि0 व खाता सं० 0006 के खसरा सं० 255मि0, 203मि0, 204 कुल रकबा 1.084 है० भूमि में 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा, प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण सहित मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 'त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य' में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि में स्टोन क्रेशर की भूमि हदूद एवं चौहद्दी के अन्तर्गत खसरा सं0 189 एवं 264 में राजकीय गूले हैं। अतः स्टोन क्रेशर की स्थापना से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु सं० 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55, दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एव राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11(1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–1 के बिन्दु सं० 12 के प्रावधानानुसार मैदानी क्षेत्रों में 200 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क ₹ 22,00,000/–(₹ बाईस लाख मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 बिन्दु सं० 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 39(1) के अनुसार स्टो क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्ण लिया जायेगा।
9. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं 39(2) के अनुसार यदि स्टो क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भी प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनु निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39(3) के अनुसार स्थापित एवं संचालि स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेश भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. प्लांट स्वामी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल मे योजित जनहित याचिका सं० 212/20 त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश व अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्राविधानानुसार प्लांट की क्रशिं क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि क बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोल जायेगा।
14. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईज प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या:– 48 (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० पीरूमदारा स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)

संलग्न - 109
208

Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand, India
Unnamed Road, Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand 2447
Lat 29.318938°
Long 79.087995°
22/06/22 04:07 PM

कार्यालय जिला अधिकारी, नैनीताल
संख्या 1048 दिनांक 11/2/22

संलग्न-110
209

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 2329 /VII-A-1/2021/3(128)/21
देहरादून,दिनांकः 05 जनवरी, 2022

15 JAN 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 3843/खनन/भू०खनि०ई०/स्क्री०प्लांट/नैनी०/2021–22, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० केसरी नन्दन मिनरल्स, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 351, 352, 353, 355, 357, 359मि० कुल रकबा 1.682 है० भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता का स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा, प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण सहित मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य" में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु सं० 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(1) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55, दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11(1) के अनुसार प्लांट की स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. प्लांट स्वामी द्वारा स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु निर्धारित अवशेष अनुज्ञा शुल्क ₹ 2,10,000/–(₹ दो लाख दस हजार मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 बिन्दु सं० 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 39(1) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

ADM/OL/GC

जिलाधिकारी
नैनीताल

8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं 39(2) के अनुसार यदि स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञाधारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 39(3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्क्रीनिंग प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्लांट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
13. प्लांट स्वामी के द्वारा शासन से स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् भूमि बंधक होने की स्थिति में भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा मे प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

लक्ष्मण सिंह
संयुक्त सचिव

संख्याः– 2329 (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० केसरी नन्दन मिनरल्स, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संलग्न -III
211

Birpur Tara, Uttarakhand, India
Unnamed Road, Birpur Tara, Uttarakhand 244716, Ir
Lat 29.273948°
Long 79.052062°
22/06/22 05:49 PM

संलग्न -112
212

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 2460 / VII-A-1 / 2021–03(136) / 2021
देहरादून, दिनांकः 06 जनवरी, 2022

–ःकार्यालय ज्ञापः–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अंतर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 4051/खनन/भू.खनि.ई./स्टो.क्रे.प्ला./नैनी0/2021–22, दिनांक 31 दिसम्बर , 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 208, 253मि0, 180, 181, 182/1, 182/2, 205, 206 व खसरा सं0 207 कुल रकबा 2.512 है0 भूमि मे उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लाण्ट, रेडी मिक्स प्लाण्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 13 (1) के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति 10 वर्ष की अवधि हेतु, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 12 के प्रावधानानुसार मैदानी क्षेत्रों मे 200 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क रू0 22,00,000/– (रूपये बाईस लाख मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं

खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लाट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध मे निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून मे प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा मे प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नही खोला जायेगा।
13. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट मे भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संख्याः 2460 (1)/VII-A-1/2021/03(136)/2021 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी , नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्ते निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

सॅलग्न-113
214

Birpur Tara, Uttarakhand, India
Unnamed Road, Birpur Tara, Uttarakhand 244716, I
Lat 29.267509°
Long 79.04564°
22/06/22 05:49 PM

संलग्नक-114
215

कार्यालय जिला अधिकारी, नैनीताल
संख्या 1045 दिनांक 11/2/22 ओ0यू0सी0

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या 2313/VII-A-1/21-03 (114)/2021
देहरादूनः दिनांकः 05 ~~दिसम्बर, 2021~~ जनवरी, 2022

12 JAN 2022

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
नैनीताल

कार्यालय ज्ञाप

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3796/खनन/भू०खनि०ई०/स्टो०क०प्ला०/नैनी०/2021–22, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में आवेदक मै० एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम वीरपुर तारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम वीरपुर तारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 52/मि0, रकबा 0.218 है0, 62/2मि0, रकबा 0.192 है0, 65/1मि0, रकबा 0.316 है0, 46/3मि0, रकबा 0.221 है0, 65/1मि0 रकबा 0.180 है0, 64मि0 रकबा 0.272 है0, कुल रकबा 1.400 है0 भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लाण्ट, रेडी मिक्स प्लाण्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 13 (1) के प्राविधानानुसार 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना एवं संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति 10 वर्ष की अवधि हेतु, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय व निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55, दिनांक 09 जून, 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. प्लांट स्वामी द्वारा अवशेष शुल्क रू0 21,88,000/– प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धात कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

216

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई–रंवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
13. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2313 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
4. आवेदक मै0 एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम वीरपुर तारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक- 115
217

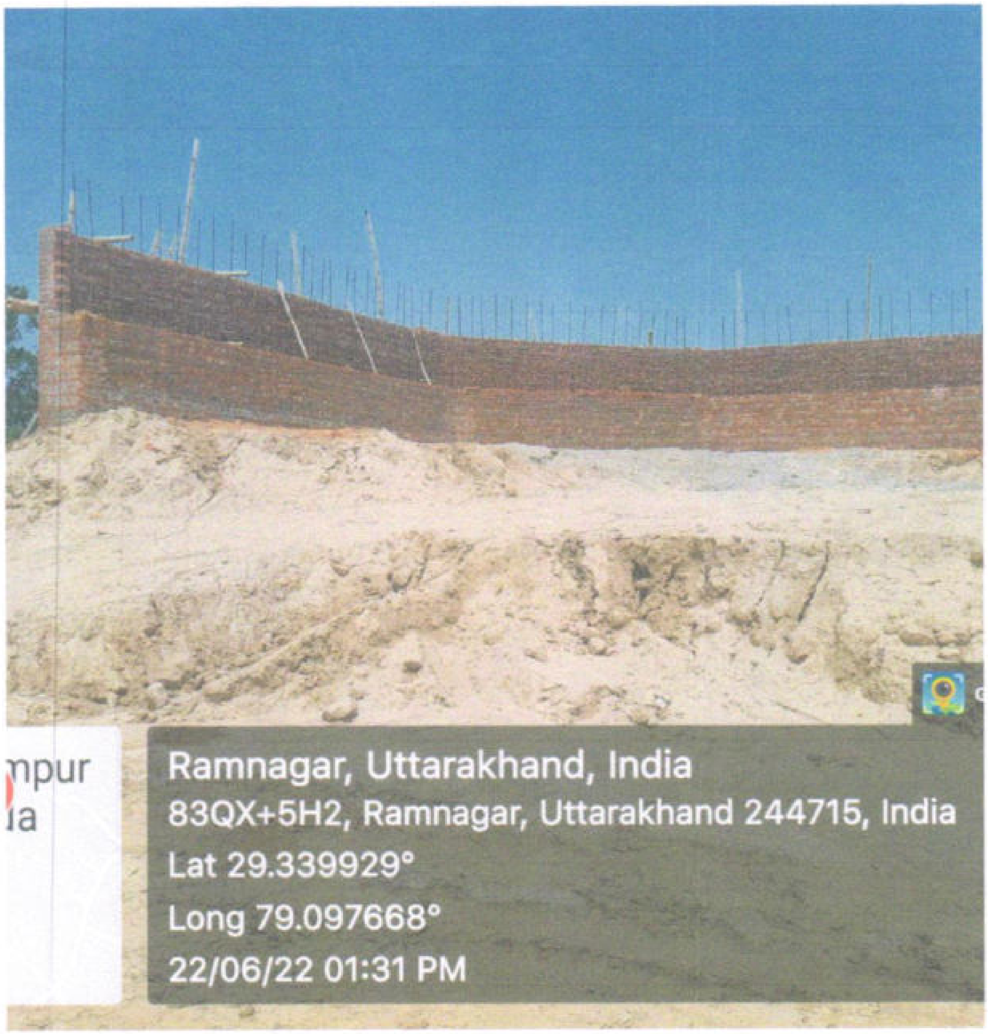

संलग्न-116
218

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्याः 2280 / VII-A-1 / 2021 / 3(112) / 21
देहरादून,दिनांकः 31 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 3781 / खनन / भू०खनि०ई० / स्टो०क्रे०प्ला० / नैनी० / 2021-22, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 52 / 1मि0, रकबा 0.095 है0, खसरा सं0 57मि0 रकबा 0.215 है0, खसरा सं0 58मि0, रकबा 0.164 है0, 46 / 2मि0, रकबा 0.082 है0, 50 / 615, रकबा 0.136 है0, खसरा सं0 63 रकबा 0.689 है0, खसरा सं0 53 रकबा 0.253 है0, खसरा सं0 56 रकबा 0.206 है0 एवं खसरा सं0 59 रकबा 0.190 है0 कुल रकबा 2.030 है० भूमि में 200 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा, प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण सहित मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212 / 2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य" में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 14 "स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तो (बिन्दु सं० 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 8(2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 55, दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11(1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु सं० 12 के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति घंटा के स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क ₹ 22,00,000/-(*₹ बाईस लाख मात्र*) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त, ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा *किया जाना* आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 बिन्दु सं० 38 के अनुसार स्टोन *क्रेशर / स्क्रीनिंग* प्लान्ट / मोबाईल स्टोन क्रेशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित / विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

-2

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–1 के बिन्दु सं० 39(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–1 के बिन्दु सं 39(2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञाधारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के अध्याय–1 के बिन्दु सं० 39(3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्लांट स्वामी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. प्रश्नगत भूमि के बन्धक होने की दशा में प्लांट स्वामी के द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
13. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–1 के बिन्दु सं० 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

लक्ष्मण सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या:– 2280 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रेशर, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

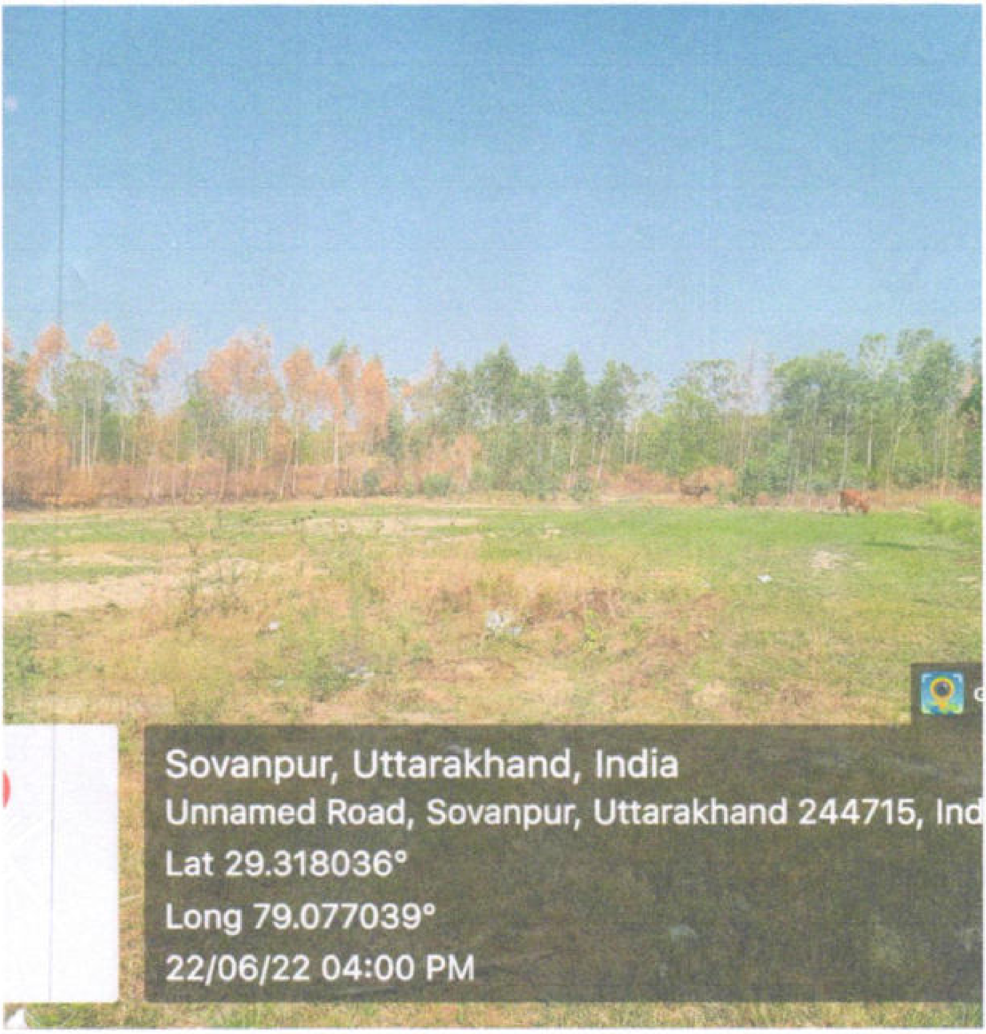
Sovanpur, Uttarakhand, India
Unnamed Road, Sovanpur, Uttarakhand 244715, Ind
Lat 29.318036°
Long 79.077039°
22/06/22 04:00 PM

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1541/VII-A-1/21/03 स्क्रीनिंग प्लान्ट/18
देहरादून,दिनांकः 23 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पत्र संख्या–786/स्क्री०प्ला०/खनन/नैनी०/2017–18, दिनांक 17 जनवरी, 2018 के क्रम में मै० श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, होटल कार्बेट प्लाजा, गंगापुर, पहाड़ी पिरूमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1.486 है० नाप भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता का स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा, प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण सहित मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 212/2019 त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा खनिज भण्डारण अनुज्ञा हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में उल्लिखित दूरी के मानकों को छोड़कर शेष मानकों का अनुपालन किया जाना होगा।
3. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 2(15) के अनुसार प्लांट की प्रतिवर्ष क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति का पंजीकृत अनुबन्ध की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही ई–रवन्ना पोर्टल खोला जायेगा।
4. स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित शर्तों (बिन्दु सं० 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई–रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
5. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7(16) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
7. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 7(15) की अनुपालना मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
8. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ख) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

9. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(घ) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
11. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 6(ड़) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
12. स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 3(1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
13. स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

दिनेश सिंह मण्डारी
अनु सचिव

संख्या:–1541 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज, होटल कार्बेट प्लाजा, गंगापुर, पहाड़ी पिरूमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह मण्डारी)
अनु सचिव

सलग्न -119
223

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. — AAQM/HLD/28/2022-23

2 Name of City & Address — M/s Government Modern School
Vill- Papdi, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring — 21.06.2022 to 22.06.2022

4 Sample Collected by — Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu g/m^3$)	Standard Value ($\mu g/m^3$)
Sulphur Dioxide (SO2)	6.1	80
Nitrogen Dioxide (NO2)	21.96	80
Respirable Suspended Particulate Matter(RSPM) PM10	72.5	100

Scientific Assistant — Asstt. Scientific Officer — Regional Officer

संलग्न-120
224

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. AAQM/HLD/29/2022-23

2 Name of City & Address M/s Kulwant Singh House
Vill- Jeevanandpur, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring 21.06.2022 to 22.06.2022

4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. C.B Joshi MA

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu g/m^3$)	Standard Value ($\mu g/m^3$)
Sulphur Dioxide (SO2)	6.2	80
Nitrogen Dioxide (NO2)	22.26	80
Respirable Suspended Particulate Matter(RSPM) PM10	74.4	100

Scientific Assistant   Asstt. Scientific Officer   Regional Officer

संलग्नक-12
225

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. AAQM/HLD/33/2022-23

2 Name of City & Address M/s Brijesh Hospital
Kashipur road Ramnagar
Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring 22.06.2022 to 23.06.2022

4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Praveen Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu g/m^3$)	Standard Value ($\mu g/m^3$)
Sulphur Dioxide (SO2)	7.4	80
Nitrogen Dioxide (NO2)	24.6	80
Respirable Suspended Particulate Matter(RSPM) PM10	89.6	100

Scientific Assistant Asstt. Scientific Officer Regional Officer

संलग्नक- 122

226

Regional Office

Uttarakhand Pollution Control Board

Awas Vikas Colony,Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

1 Report No. AAQM/HLD/34/2022-23

2 Name of City & Address M/s Pushkar Pant & Hardware store
Dhela road Chorpani
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttrakhand)

3 Date of Monitoring 22.06.2022 to 23.06.2022

4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Ravindra Singh Jarout MA

OBSERVATION

Parameter	Measured Value ($\mu g/m^3$)	Standard Value ($\mu g/m^3$)
Sulphur Dioxide (SO2)	6.9	80
Nitrogen Dioxide (NO2)	23.05	80
Respirable Suspended Particulate Matter(RSPM) PM10	77.6	100

Scientific Assistant | Asstt. Scientific Officer | Regional Officer